य उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राजस्थान)
न अधिकारीः–सुनिता यादव, आर.ए.एस.
संख्याः–151/2018 प्रार्थना पत्र
गुमानी बेवा परसा जाट, उम्र बालिग निवासी चौपडा का खेड़ा–रीछडा तहसील व जिला
ड़ा (राजस्थान) ---प्रार्थी

बनाम

शंकर पिता रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी चौपड़ा का खेड़ा–रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा
गणेश पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी चौपड़ा का खेड़ा–रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा
नंदा पिता रामलाल जाट, उम्र बालिग निवासी चौपड़ा का खेड़ा–रीछछा तहसील भीलवाड़ा
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
ान) ---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–..11.6.2018

प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 । 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रीछड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1125 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, ात है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से न सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खाते की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.2018 को पंजीबद्ध किया प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार ख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार ्त किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर न पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार जाकर ग्राम रीछड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त की आराजी नम्बर 1125 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, भुमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता कारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अभिलेख निरीक्षक महुआकंला को 600/–रूपये (अक्षरेः– छः सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर श्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील ु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

ालिपिः–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

Scanned by CamScanner